

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1686/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन घट प्रथम, अलवर
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स कार्बोनेन ऑर्गेनिक्स प्रा०लि०,
जी-6, अम्बर टॉवर, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

श्री टी.सी.जैन एवं ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषकगण

.....विभाग की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 15.06.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 220/अति. आयुक्त (अपील्स) आरएसटी/01-02/अपील्स-IV/08-09/जी में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 16.02.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन घट प्रथम, अलवर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत पारित आदेश दिनांक 07.07.2001 में आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, अलवर द्वारा दिनांक 29.05.2001 को वाहन संख्या डी.एन.जी.-0922 को चैक किया करने परिवहनित माल के संबंध में वाहन चालक द्वारा राजस्थान बोम्बे ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. दिल्ली का गुड्स चालान संख्या 1784 दिनांक 29.05.2001, कन्साईमेन्ट नोट (बिल्टी) संख्या 22817 दिनांक 29.05.2001 तथा मैसर्स चौधरी ब्रदर्स, आदर्श मण्डी स्थल बहजोई, मुरादाबाद (यू.पी.) का इनवॉइस संख्या 8 दिनांक 27.05.2001 - माल 'मेन्थोल' (125 Drums of 20 kg each) कीमतन् रूपये 11,40,275/- का जिसमें प्रेषिति मैसर्स कार्बोनेन आर्गेनिक्स प्रा. लि., जयपुर घोषित है, पेश किये। जांच अधिकारी द्वारा माल के दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि इनवॉइस में टैक्स चार्ज नहीं किया गया था, अतः माल राज्य में विक्रयार्थ आयात किया जा रहा था जिसके साथ फॉर्म एस.टी.-18ए संलग्न नहीं था। उक्त संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को कारण बताओ

31

निरन्तर.....2

नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया जिसे अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति 3,42,878/- रुपये आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने राजस्व का पक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रेषक मैसर्स चौधरी ब्रदर्स, मुरादाबाद के बिक्री बिल संख्या 8 दिनांक 27.05.2001 के अवलोकन से ही यह साबित हो जाता है कि यह माल प्रत्यर्थी के बिहाफ पर उत्तर प्रदेश में क्रय किया जाकर राज्य में भिजवाया जा रहा था, अतः यह माल स्वयं प्रत्यर्थी के स्वामित्व का होने के कारण उक्त संव्यवहार ब्रांच ट्रांसफर की श्रेणी में आयेगा तथा इस पर घोषणा पत्र एसटी 18ए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था, जो कि माल के साथ में नहीं पाया गया था, अतः धारा 78(5)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जो शास्ति आरोपण किया गया है वह पूर्णतः उचित है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अपास्त करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की गई है, अतः उन्होंने अपीलीय आदेश अपास्त करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि यू.पी. के विक्रेता द्वारा प्रस्तुत बिल में कर संग्रहण करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह माल यू.पी. में करमुक्त था। यदि माल करयोग्य भी था तो कर चुकाने की जिम्मेदारी विक्रेता की थी। क्रेता ने किसी राज्य के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। बिल क्रमांक हाथ से लिखा गया है वह विक्रेता के स्तर का मामला है क्रेता का नहीं। यदि विक्रेता यू.पी. द्वारा अपंजीकृत व्यवहारी की हैसियत से भी दस्तावेज बनाकर माल विक्रय किया है तो भी क्रेता का दायित्व किसी भी स्तर पर नहीं बनता है बल्कि विक्रेता का दायित्व है तथा यदि कोई कार्यवाही भी लम्बित है तो विक्रेता के विरुद्ध ही की जा सकती है तथा ऐसे दस्तावेज को "False or Forged" नहीं कहा जा सकता है। आगे उन्होंने कथन किया कि बिल में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि यह माल कन्साइनमेंट बेसिस पर अथवा ब्रांच ट्रांसफर बेसिस पर राज्य में लाया जा रहा था, अतः यह केवल बिक्री ही थी जिस पर घोषणा पत्र एसटी 18ए लागू नहीं होता है तथापि उन्होंने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 07.07.2001 के साथ में

निरन्तर.....3




फॉर्म एसटी 18ए संख्या 0132585 प्रस्तुत कर दिया था, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी.मेटल्स लि० के प्रकरण में दिये गये निर्णय के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी को उक्त घोषणा पत्र स्वीकार कर लेने चाहिए थे। उन्होंने यह भी कथन किया कि परिवहनित माल 'मैन्थॉल' चूंकि अधिसूचित वस्तु नहीं है अतः इसके परिवहन के समय घोषणा पत्र एसटी 18ए की बाध्यता नहीं है। अपने इन कथनों के परिपेक्ष्य में उन्होंने राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत किये गये इन्वॉयस संख्या 8 दिनांक 27.05.2001 जो कि मैसर्स चौधरी ब्रदर्स, मुरादाबाद द्वारा जारी किया गया है, के अवलोकन से प्रकट है कि यह माल उत्तरप्रदेश राज्य में on behalf of the appellant क्रय किया गया है तथा इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बिल में दर्शाई गई माल की कीमत के साथ-साथ कमीशन, खाली ड्रमों की लागत, मजदूरी, अन्य खर्चे, टैस्टिंग चार्ज एवं भाड़ा राशि आदि खर्चे भी पृथक से चार्ज किये गये हैं। प्रश्नगत संव्यवहार सामान्य अन्तर्राज्यीय विक्रय का संव्यवहार होने की दशा में बिल में उक्त खर्चे प्रभारित किये जाने की कोई प्रासंगिकता नहीं थी। सुलभ संदर्भ हेतु बिल में दिया गया विवरण निम्न प्रकार पुनरुल्लिखित है :-

S No.	PARTICULARS	WEIGHT Kg Gm	Rate Per kg	Amount Rs P.
	<u>MENTHOL</u> (125 Drum of 20 kg each)	2500kg	450/-	11,25,000/-
	Commission @ 2/- per kg			5000/-
	Empty Drum Charges 50/-			6250/-
	Labour 2/- per Drum			250/-
	Other Expenses			625/-
	Testing Charges			250/-
	Freight			2900/-
			Total	1140275/-

6. इसके अतिरिक्त बिल में कर संबंधी कॉलम यथा UP T.T, S.C. तथा CST के कॉलम भी रिक्त हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत संव्यवहार अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में किया गया विक्रय नहीं है तथा बिल में दर्शाये उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त माल प्रत्यर्थी व्यवहारी के लिये उत्तर प्रदेश राज्य में खरीदा जाकर प्रेषित किया गया है, अतः राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 53(1)(a)(ii) के अनुसार इस परिवहनित माल पर घोषणा पत्र एसटी 18ए प्रस्तुत करने का प्रत्यर्थी का दायित्व बनता है। प्रश्नगत



संव्यवहार अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में बिक्री का संव्यवहार न होकर स्टॉक ट्रांसफर या कन्साइन्मेन्ट बेसिस पर माल राज्य के भीतर मंगवाये जाने का ही पाया जाता है। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न प्रत्युत्तरों में भी यह स्वीकार किया है कि यह माल उनके लिये (on behalf of) खरीद कर प्रेषित किया गया है। इस संबंध में अभियोग पत्रावली के पृष्ठ 37 एवं पृष्ठ 56 पर स्वयं प्रत्यर्थी के कथन उल्लेखनीय हैं जहां उक्त माल की खरीद उसके लिये किया जाना स्वीकार किया गया है। पृष्ठ 26, 37 एवं पृष्ठ 56 के उक्त उद्धरण निम्न प्रकार हैं :-

Page 26 of the case file - Dealer's reply dated 30.05.2001

"That the said M/s Choudhri Borthers of Moradabad (U.P.) bought 125 drums of 20 Kg. each @ Rs. 450/- per kg. and charged commission @ Rs. 2/- per kg., empty drum charges of Rs. 50/- per drum, labour charges Rs. 2/- per drum, other expenses Rs. 625/-, testing charges Rs. 250/- and freight Rs. 2900/-.

That the said M/s Choudhri Brothers issued his invoice bearing no. 8 dated 27th May 01 for the said purchases on our behalf and all the incidental purchase as mentioned in the invoice itself and sent the said goods namely menthol through c.N. No. 22817 dated 29th may 01 of the transporter."

Page 37 of the case file - Dealer's reply dated 18.06.2001

"That the said M/s Chaudhary Brothers issued his invoice bearing No. 8 dated 27th May, 2001 for the said purchases on our behalf and all the incidental purchase as mentioned in the invoice itself and sent the said goods namely menthol through C.N. No. 22817 dated 29th May 2001 of the transporter."

Page 56 of the case file - Dealer's reply dated 07.07.2001

"That as regarding the facts we have already submitted in our earlier reply dated 30.05.2001 which categorically says that goods have been moved from M/s Chaudhary Brothers, Muradabad and these are in persuance of instructions given by us to them for supply of such goods for which requisite documents were duly available at the time of inspection by your honour."

7. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नियम 53(1)(a)(ii) के अनुसार घोषणा पत्र एसटी 18ए ऐसे आयातकर्ता व्यवहारी द्वारा दिया जायेगा जो राज्य के बाहर से प्रेषित ऐसा माल जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, प्राप्त करता है [who receives any goods as may be notified by the State Government, consigned to him from outside the State] । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या F.4(74)FD/Tax Divn/95-45 dated 09.07.1998 जारी की गई है जिसमें इस नियम के अंतर्गत 5 प्रकार के माल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के माल पर इस नियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिसूचना निम्न प्रकार है :-



निरन्तर.....5

"In exercise of the powers conferred by S.81, RST Act, 1994, and in pursuance of rule 53(1)(a)(ii), RST Rules, 1995, the State Govt. hereby notifies all goods other than the goods mentioned in the list appended hereto, to be notified goods for the purpose of rule 53(1)(a)(ii) of the said Rules, for which a declaration from prescribed in rule 53 shall be required to be carried with the goods in movement and shall be produced in accordance with the provisions of the said rule 53:-

List

- (i) High and Light Speed Diesel Oil, Petrol and Aviation spirit;
- (ii) Goods the sale or purchase of which by the dealers is generally exempt from tax without any conditions;
- (iii) Goods the sale or purchase of which by the dealers is exempt from tax on the sole condition of obtaining a certificate of exemption with or without payment of any fees;
- (iv) Goods the sale or purchase of which by the dealers is exempt on the sole condition of obtaining a certificate of exemption on payment of fees, and such exemption certificate has been obtained by the dealer to whom the goods has been consigned; and
- (v) Goods the sale or purchase of which by the dealers is exempt on the sole condition that the goods are recorded in the registration certificate of the dealers claiming the exemption."

इसका आशय यह है कि उपर्युक्त यथा अधिसूचित माल के अलावा राज्य के बाहर से प्रेषित समस्त प्रकार के माल हेतु घोषणा पत्र एसटी 18ए दिया जाना आज्ञापरक है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी के उत्तर प्रदेश स्थित एजेंट द्वारा वहां यह माल प्रत्यर्थी के लिये (on behalf of the appellant) क्रय करने के पश्चात प्रेषित किया गया है, अतः प्रस्तुत प्रकरण में परिवहनित माल का गमन इस क्लॉज [53(1)(a)(ii)] से ही शासित होता है, अतः यह निर्णीत किया जाता है कि इस मामले में घोषणा पत्र एसटी 18ए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। प्रत्यर्थी ने उक्त घोषणा पत्र माल के साथ नहीं होने के संबंध में न तो कोई युक्तिसंगत कारण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किया था तथा न ही उसने प्रथम उपलब्ध अवसर पर उक्त घोषणा पत्र पेश किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपना प्रथम प्रत्युत्तर दिनांक 30.05.2001 को, द्वितीय प्रत्युत्तर दिनांक 18.06.2001 को तथा तृतीय एवं अन्तिम प्रत्युत्तर दिनांक 07.07.2001 को पेश किया तथा वाहन रोके जाने के एक माह से भी अधिक अवधि के पश्चात अर्थात् दिनांक 07.07.2001 को घोषणा पत्र एसटी 18ए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किया। ऐसी दशा में प्रत्यर्थी का यह कथन मान्य नहीं किया जा सकता है कि डी.पी.मेटल्स के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय (124 STC 611) के आलोक में उसके द्वारा बाद में पेश किया गया घोषणा पत्र



स्वीकार किया जाना चाहिये था। उक्त निर्णय का ससम्मान अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी त्रुटिवश कुछ दस्तावेज वाहन के साथ में नहीं पाये जाते हैं तो प्राकृतिक न्याय के हित में व्यवहारी को उचित अवसर दिया जाना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा न तो ऐसी कोई त्रुटि इंगित की गई है जिसके कारण घोषणा पत्र माल के साथ में नहीं दिया जा सका हो एवं न ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत प्रथम प्रत्युत्तर के साथ में उक्त घोषणा पत्र पेश किया गया, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय का ratio of judgement प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुए लागू नहीं होता है। अतः इस संबंध में धारा 78(5)(a) का उल्लंघन पाये जाने के कारण प्रत्यर्थी का पक्ष स्वीकार योग्य नहीं है।

8. प्रकरण में द्वितीय महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि कर निर्धारण अधिकारी ने माल के दस्तावेज को false or forged ठहराते हुए शास्ति का आरोपण किया है। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित व्यापार कर विभाग से जांच करवाई है तथा जो जांच रिपोर्ट अभियोग पत्रावली के पृष्ठ 35 पर उपलब्ध है। डिप्टी कमिश्नर (वि० अनु० शाखा/प्र०) मुरादाबाद के इस पत्र क्रमांक 463 दिनांक 08.06.2001 में बताया गया है कि प्रेषक फर्म 'मैसर्स चौधरी ब्रदर्स, नवीन मंडी बहजोड़ का प्रान्तीय तथा केन्द्रीय पंजीयन नवीनकरण शुल्क जमा न करने के कारण दिनांक 1-4-96 से स्वतः ही समाप्त हो गया है। आगे यह भी सूचित किया गया है कि उक्त व्यापारी उ०प्र० व्यापार कर विभाग में पंजीकृत नहीं है तथा न ही इसके द्वारा कोई बिक्री के रूपपत्र (Returns) जमा किये जा रहे हैं और न ही कोई व्यापार कर जमा किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रेषक व्यवहारी उत्तर प्रदेश राज्य में Genuinely Registered dealer नहीं था।
9. यद्यपि प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान यह तथ्य बताया गया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 06.08.1998 के द्वारा उक्त व्यवहारी के पंजीयन निरस्तीकरण संबंधी आदेश पर रोक लगा दी गई थी, अतः प्रेषक व्यवहारी का पंजीयन निरस्त नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में अभियोग पत्रावली के पृष्ठ 59 पर उपरोक्त आदेश की छायाप्रति उपलब्ध है तथा पृष्ठ 60 पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ही एक अन्य आदेश दिनांक 25.06.1999 की प्रति भी उपलब्ध है जिसमें पूर्वोक्त आदेश दिनांक 06.08.1998 के क्रम में ट्रिब्यूनल द्वारा व्यवहारी की अपील का निर्णय होने तक उसके पंजीयन निरस्तीकरण संबंधी आदेश को स्थगित किया है तथा व्यापार कर अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह वर्ष 1999-2000 के पंजीयन के संबंध में एक माह के भीतर जारी करे (छायाप्रति में आदेश में टंकित शब्द review को

31

काटकर लिखा गया शब्द पठनीय नहीं है)। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रेषक व्यवहारी के संबंध में इस अन्तरिम निर्णय के पश्चात हुए किसी अपील निर्णय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये किसी अंतिम निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः उत्तर प्रदेश व्यापार कर विभाग के अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 08.06.2001 को नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। एक अन्य तथ्य जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत बिल (Bill no 8/27.5.2001 of M/s Choudhary Bros.) में मैथोल के 125 ड्रम वजन 2500 kg का उल्लेख है वहीं ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी बिल्टी व गुड्स चालान में माल की मात्रा 121 Pkgs तथा वजन 2420 kg ही अंकित है, इस discrepancy को भी प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता स्पष्ट नहीं कर पाये। उक्त विरोधाभासी तथ्य भी राजस्व का पक्ष मजबूत करते हैं कि समग्र परिपेक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज सही नहीं थे तथा करवंचना का प्रयोजन अन्तर्निहित था। अतः यह निर्णीत किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मार्गस्थ माल के संबंध में उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को मिथ्या या कूटरचित (false or forged) मानने में कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

10. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 78(5)(a) का उल्लंघन पाया गया है एवं दस्तावेज भी मिथ्या या कूटरचित (false or forged) पाये गये हैं, अतः इस संबंध में अपीलीय आदेश में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थिति पर समग्रता से विचार किये बिना शास्ति अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है, लिहाजा अपीलीय आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को रेस्टोर किया जाता है।
12. निर्णय सुनाया गया।



15.06.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य